प्रारूप

कृषि विभाग, बिहार सरकार

हारित क्रांति योजना अन्तर्गत गेहू सघनीकरण प्रणाली (एस.डब्लू.आई.) वर्ष 2014–15

कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अनुदेश :

1.0 पृष्ठ भूमि :

बिहार में लगभग 24.00 लाख हेक्टेयर में गेहूँ की खेती होती है। इस प्रदेश में गेहूँ की बुआई मुख्यतः खाली परती भूमि में समय से तथा अन्य क्षेत्रों में धान की कटाई के पश्चात् 15 नवम्बर से 10 जनवरी तक की जाती है।

एस.डब्लू.आई. तकनीक से गेहूँ फसल प्रत्यक्षणों में राज्य के विभिन्न जिलों में सामान्य से दोगुना उत्पादन दर्ज किया गया है। इस तकनीक के द्वारा गेहूँ के अधिक उपज प्राप्त रहने के कारण अनुसूची–1 के अनुसार लक्ष्य प्रस्तावित है।

2.0 श्री विधि से गेहूँ की खेती की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नांकित है।

1. कम बीज की आवश्यकता : इस विधि में प्रति हिल दो बीज की बुआई की जाती है जिससे प्रति एकड़ बीज की मात्रा 10 कि0ग्रा0 की आवश्यकता होती है।
2. बीज उपचार : गेहूँ बीज का विशिष्ट ढंग से उपचार कर बुआई किया जाता है। विशिष्ट बीजोपचार हेतु गर्म पानी, गोमूत्र, वर्मी कम्पोस्ट, गुड़ तथा ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है जिससे प्रत्येक बीज को अंकुरण हेतु सुरक्षा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है।
3. अंकुरित बीज की बुआई : बीजोपचार के पश्चात् अंकुरित होने के लिये 10 से 12 घंटे रखा जाता है। तत्पश्चात् अंकुरित बीज की बुआई की जाती है।
4. कम प्रतिस्पर्धा : बुआई की दूरी 20X20 से0मी0 रहने के कारण पौधे में सिंचाई जल, पोषक तत्व एवं प्रकाश के लिए कम प्रतिस्पर्धा होती है जिसके कारण अनावश्यक वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है।
5. खरपतवार का बेहतर उपयोग : कतार में बुआई रहने के कारण CRI (Crown Root Initiation) Stage के पश्चात् वीडर का इस्तेमाल कर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिससे पोषक तत्व समूल रूप मे पौधों को मिल पाता है।
6. कल्लों की संख्या में वृद्धि : प्रत्येक हिल में बोये गये बीज से सामान्य गेहूँ की खेती की अपेक्षा अधिक कल्लों की संख्या निकलती है जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है।
7. जड स्थापन : इस विधि से गेहूँ की खेती में जड़ों की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जड़े गहरायी तक जाती है जिससे पोषक तत्वों का समुचित उपयोग हो पाता है फलस्वरूप अनुपातिक उत्पादन में वृद्धि होती है।
8. खाद का प्रयोग : इस तकनीकी के अन्तर्गत रसायनिक उर्वरकों के बदले कार्बनिक एवं जैविक खाद के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है जिससे मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ती है और भूमि की दशा में सुधार होता है।
9. स्वस्थ पौधे : इस विधि से पौधों से पौधों की दूरी 20X20 से0मी0 रखी जाती है जिससे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है।

2.1 देश एवं राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमान्त एवं लघु कृषकों के छोटे जोत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री विधि से खेती का कार्यक्रम लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। बहुउद्देशीय कृषि रोड मैप में कृषि उत्पादन में दो गुणा वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लागू किये जाने से निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रुप से प्राप्त किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्री विधि से गेहूँ की खेती के लिये 1,57,297 (एक लाख सनतावन हजार दौ सौ सनतानवे) एकड लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 50% क्षेत्र में प्रत्यक्षण कार्यक्रम एवं 50% गैर प्रत्यक्ष क्षेत्र में आच्छादन कराया जायेगा। इसके लिए वृहद जनजागरण अभियान, कृषक प्रशिक्षण का आयोजन तथा तकनीकी प्रत्यक्षण कराने की योजना है। श्री विधि से गेहूँ की खेती के प्रोत्साहन के लिये व्यापक रुप से राज्य, अनुमडल एवं जिलों में प्रचार-प्रसार को विस्तारित किया जायेगा। इस तकनीक के प्रत्यक्षण के लिये स्थलों के चयन के पश्चात् कृषकों को प्रखड स्तरीय षिविर में प्रशिक्षण तथा प्रत्यक्षण उपादानों को कृषकों के क्रय के पष्चात अनुदान राषि 1600 रु0 (एक हजार छः सौ रुपये) भुगतान किया जायेगा। वैज्ञानिकों के क्षेत्र भ्रमण, प्रशिक्षक का मानदेय, प्रशिक्षण-सामग्री, पैम्फलेट आदि हेतु 320/- रू० (तीन सौ बीस रूपये मात्र) प्रावधान प्रति एकड किया गया है।

2.2 श्री विधि से गेहूँ की खेती को बढावा देने के लिये कृषि विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कार्य करेगा तथा जीविका, महिला विकास निगम, कृषि विज्ञान केन्द्र को श्री विधि से गेहूँ की खेती एवं प्रत्यक्षण कार्य के प्रषिक्षण कार्यो के लिये सेवा ली जायेगी।

2.3 श्री विधि से गेहूँ की खेती का सामान्य एवं प्रत्यक्षण का जिलावार लक्ष्य योजना की स्वीकृति के अनुसार निर्धारित रहेगी।

3.0 **श्री विधि तकनीक का प्रत्यक्षण** : कृषि प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का सबसे सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम प्रत्यक्षण होने के कारण श्री विधि खेती से गेहूँ उत्पादन के लिये 78648.5 एकड प्रत्यक्षण का लक्ष्य शतप्रतिशत अनुदान पर निर्धारित किया गया है।

3.1 **प्रत्यक्षण हेतु उपादान किट का निर्धारण** : श्री विधि से गेहूँ प्रत्यक्षण में एक एकड़ में प्रयुक्त होने वाले निम्नांकित उपादानों को चयनित कृषकों के द्वारा क्रय किये जाने के उपरांत अधिकतम 1600/- रूपये सहायता अनुदान का भुगतान शिविर मे किया जायेगा। इससे अधिक व्यय का भुगतान किसान स्वयं वहन करेंगे।

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा	अनुमानित दर (रूपये में)	अनुमानित मूल्य (रूपये में)
प्रत्यक्षण हेतु आवश्यक उपादान किट का वितरण				
1	प्रमाणित बीज	10 कि0ग्रा0	32 रू०/किलो	320.00
2	**बीजोपचार** 1. 27 लीटर गर्म पानी (60°c) के साथ देशी गोमुत्र-3 लीटर **(किसान अपने श्रोत से)** 2. वर्मीकम्पोस्ट-3.0 कि0ग्रा0 3. गुड-2.0 कि0ग्रा0 4. 20 ग्राम कार्बेन्डाजीम 50% WP	अनुमानित व्यय	150.00 रू०	150.00
3	वर्मीकम्पोस्ट	50 कि0ग्रा0	6 रू०/किलो	300.00
4	**उर्वरक** (i) ट्राईकोड़मा- (मिट्टी उपचार) (ii) एजोटोबेक्टर या पी०एस०बी०	3 कि0 ग्रा0 1 कि0ग्रा0	135 रू०/कि0ग्रा0 75 रू०/किलो	405.00 75.00
5	**पौधा संरक्षण** टेबुकोनाजोल 25.9 EC 1 मि0ली0/ली0 पानी मे। या मैन्कोजेब 75W.P 2 ग्राम/ली0 पानी में।			350.00
	योग			1600.00
6	वैज्ञानिकों का क्षेत्र भ्रमण/प्रशिक्षक का			320.00

मानदेय, प्रशिक्षण सामग्री, पम्फलेट एवं आकस्मिकता			
सकल योग			1920.00

3.2 अनुसंशित प्रभेद : बुआई की अवस्था के अनुसार गेहूँ के निम्नांकित प्रभेद का चयन किया जा सकता है।

सिंचित समय से बुआई (15 नवम्बर से 10 दिसम्बर)	एच डी–2733, एच डी–2824, एच पी0–1731, राज–777, एच पी0–1761, के0–9107, के–307 (शताब्दी), पी बी डब्लू–343, पी बी डब्लू–443, पी बी डब्लू–502, पी बी डब्लू–550, आर डब्लू–346, आर डब्लू–3413, यूपी–262, यूपी–2383, एच यू डब्लू–206, राज–4120, एच यू डब्लू–468,
सिंचित विलम्ब से बुआई (11 दिसम्बर से 10 जनवरी)	एच यू0 डब्लू–234, एच डी–2307, एच डी–2643 (गंगा), एच डी–2285, एच पी–1744 (राजेश्वरी), एच पी–1633(सोनाली), के 943, के–7933, एच डब्लू–2045 (कोस्मी), यूपी–2425, पी बी डब्लू–373, पी बी डब्लू–533, पी बी डब्लू–306, डी बी डब्लू–14, राज–3765, डी बी डब्लू–16, एन डब्लू–1014, एन डब्लू–2036, एच डी–2888 (पूसा गेहूँ–107)
असिंचित अवस्था	के–8027, सी–306, एच डी–2781, एच डी आर–72, एम ए सी एस–6145, एच डी–2833 (तृप्ती), एच डी–2781, एच डी–2820

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणित HYV का उपयोग भी किया जा सकता है जो क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित हो।

3.3 प्रत्यक्षण हेतु क्षेत्र का चयन

3.3.1 श्री विधि से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कलस्टर में स्थल का चयन को प्राथमिकता दिया जाना है।

3.3.2 प्रखंड के चयन में निकटतम कृषि विज्ञान केन्द्र से परामर्श प्राप्त किया जाना है।

3.3.3 क्षेत्र का चयन भूमि तथा जल संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जाना है।

3.4 प्रत्यक्षण हेतु स्थल का चयन

3.4.1 प्रत्यक्षण स्थल के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वह क्षेत्र सिंचाई सुविधा से युक्त हो।

3.4.2 प्रत्यक्षण स्थल यथा संभव सड़क के नजदीक हो जिससे उस रास्ते से कृषकों का अधिक आवा-गमन होता हो जिससे प्रत्यक्षण का प्रभाव अन्य किसानों के बीच हो सके साथ ही वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा सरलता से करायी जा सके।

3.4.3 श्री विधि प्रत्यक्षण के लिये स्थल यथा संभव प्रखंड/नगर पंचायत के निकटवर्ती ग्राम/ चयनित जैविक ग्राम/चयनित बीज ग्राम/पैक्स मुख्यालय के नजदीकी ग्राम/कृषि विज्ञान केन्द्र के मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम पंचायत में करना श्रेयस्कर होगा।

3.4.4 कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा श्री प्रत्यक्षण का आयोजन Cluster (क्लस्टर) में कराने हेतु स्थल का चयन किया जाना है।

3.4.5 स्थल चयन के पश्चात उक्त कलस्टर के अन्तर्गत आने वाले कृषकों का चयन किया जायेगा।

3.5 प्रत्यक्षण हेतु कृषक की पात्रता

3.5.1 इच्छुक सभी सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषक इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे।

3.5.2 कृषकों में कम से कम 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति के कृषकों का चयन करना है तथा 33% महिला कृषकों को प्राथमिता दिया जाना है। लक्ष्य से अधिक माँग होने पर इन्हें चयन में प्राथमिकता दिया जाना है।

3.5.3 प्रत्यक्षण के आयोजन हेतु चयनित किसान / किसान समूह द्वारा भूमि, श्रम तथा सिंचाई संसाधन सुलभ कराना अनिवार्य होगा।

3.5.4 वैज्ञानिकों / तकनीकी पदाधिकारियों / अन्य Resource Person (रिसोर्स पर्सन) के तकनीकी मार्गदर्शन में चयनित कृषकों द्वारा श्री विधि गेहूँ का प्रत्यक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

3.5.5 प्रत्यक्षण के फलाफल जानने के लिये फसल जाँच कटनी (Crop Cutting Experiment) में कृषकों द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।

3.5.6 क्लस्टर में सहभागी किसान के कम से कम 25 डिसिमिल भूमि की अनिवार्यता सुनिश्चित की जानी है।

3.6 प्रत्यक्षण स्थल एवं कृषकों के चयन की प्रक्रिया:

3.6.1 कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिये रिसोर्स पर्सन के रुप में किसान सलाहकार / कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / अपने अधिनस्थ अन्य पदाधिकारियों को सबद्ध किया जाना है।

3.6.2 रिसोर्स पर्सन के माध्यम से कृषकों का चयन एवं स्थल का चयन किया जाना है।

3.6.3 श्री विधि गेहूँ प्रत्यक्षण को केवल सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही सीमित रखा जाना है।

3.6.4 चयनित किसानों के सूची उपादान वितरण से एक सप्ताह पूर्व पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में, प्रदर्शित कर दिया जाना है। साथ ही कृषि विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया जाना है।

3.6.5 जो भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं उन्हें इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं किया जाय। उक्त आलोक में किसानों के चयन के पूरी जवाबदेही किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक की होगी।

3.6.6 भूमिहीन जोतदार कृषक को भी इस कार्यक्रम का लाभ दिया जाना है।

3.6.7 कृषकों के चयन के पश्चात् चयनित कृषकों की सूची पर जिला कृषि पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

3.6.8 पूर्व के वर्ष में इस कार्यक्रम से लाभान्वित कृषकों का चयन नहीं किया जाना है।

3.7 उपादान किट के क्रय की प्रक्रिया एवं वितरण

3.7.1 श्री विधि से गेहूँ के प्रत्यक्षण हेतु निर्धारित उपादानों का क्रय कृषकों द्वारा कृषि विकास महोत्सव शिविर में ही किया जायेगा तथा क्रय रसीद उपस्थापित करने पर अधिकतम मो0 1600 रु0 (एक हजार छः सौ रुपये) प्रति एकड की दर से सहायता अनुदान की राशि रेखांकित चेक / RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान कराया जायेगा।

3.7.2 प्रत्यक्षण के लिये सभी आवश्यक उपादानों की व्यवस्था एवं उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा शिविर के आयोजन पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

3.7.3 जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्यक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रमाणित बीज उपयुक्तता के आधार पर प्रभेदो का आरक्षण सरकारी बीज कंपनियों से कराना सुनिश्चित करेंगें।

3.7.4 जिला कृषि पदाधिकारी अन्य उपादानों यथा जैव उर्वरक, कीटनाषी रसायन आदि की गुणवत्तायुक्त उपादान अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों के माध्यम से मेला में उपलब्ध करायेंगे।

3.7.5 जिला कृषि पदाधिकारी जैव उर्वरक, कीटनाषी रसायन आदि की प्रति एकड मात्रा का पैकेट एवं उसपर उसका विवरण अंकित कराकर कृषकों को सुलभ करायेंगे।

3.7.6 प्रत्यक्षण हेतु निर्धारित राशि के अधीन उपादानों का वितरण एवं अनुमान्य नगद राशि का भुगतान कृषि विकास महोत्सव के दौरान प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण में कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

3.7.7 कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपादान किट के वितरण के साथ-साथ श्री विधि से गेहूँ की खेती की पैकेज प्रणाली का बुलेटिन कृषकों को आत्मा के माध्यम से वितरित किया जाना है।

3.8 तकनीकी मार्गदर्शन की प्रक्रिया :

3.8.1 तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र को पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया जाता है।

3.8.2 श्री विधि से गेहूँ के प्रत्यक्षण स्थल उस क्षेत्र के लिये तकनीकी मार्गदर्शन का केन्द्र बिन्दु होगा।

3.8.3 प्रत्यक्षण स्थल को किसान पाठशाला के लिये प्रशिक्षण स्थल के रूप में चिन्हित किया जाना है।

3.8.4 कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु किसान पाठशाला में भाग लिया जाना है।

3.8.5 किसान पाठशाला के तकनीकी सत्र में कृषकों को प्रत्यक्षण संबंधी समुचित मार्गदर्शन दिया जाना है। चयनित कृषकों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मजदूर को भी शामिल किया जाना है।

3.8.6 श्री विधि की खेती में प्रयुक्त होने वाले वीडर एवं डिबलर की उपलब्धता अनुदानित दर पर कृषि विकास उत्सव के अवसर पर एवं किसान पाठशाला के सत्र में उपलब्ध कराया जाना है।

3.9 जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

3.9.1 जिला कृषि पदाधिकारी इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करेंगे तथा कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु जिम्मेवार होंगे।

3.9.2 श्री विधि से खेती के लिये प्रसार अभियान के लिये जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

3.9.3 श्री विधि अभियान के लिये निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषकों के चयन की सूचना, प्रत्यक्षण किट के उपादानों की उपलब्धता, इसके वितरण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3.9.4 श्री विधि से गेहूँ की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रमंडलीय, जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अभियान का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3.9.5 प्रत्यक्षण कार्यक्रम का किसान पाठशाला से समन्वय जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से किया जायेगा तथा इसके लिये प्रशिक्षक दल को समुचित मार्गदर्शन किया जाना है।

3.9.6 जिला कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित जिलों में कृषि समन्वयक एवं कृषक सलाहकार को किसानों की सूची तैयार करने, प्रशिक्षण में किसानों को भाग लेने, प्रत्यक्षण के उपादानों के वितरण कराने तथा प्रत्यक्षण अवधि में समय-समय पर कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

3.9.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आकस्मिकता मद से प्रत्येक पंचायत के संबद्ध कृषि समन्वयक / रिसोर्स पर्सन के लिये एक पंजी का क्रय कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.10 प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

3.10.1 अपने अधीनस्थ कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार के माध्यम से कृषकों का चयन करना।

3.10.2 चयनित कृषकों की सूची तैयार कराना तथा इसे संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

3.10.3 प्रखंड स्तर पर कृषि विकास महोत्सव में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराना।

3.10.4 चयनित कृषकों के बीच प्रत्यक्षण के उपादान का वितरण कराना।

3.10.5 श्री विधि से गेहूँ की खेती के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।

3.10.6 अपने प्रखण्ड के अधीन प्रत्यक्षण की देखरेख करना तथा सूचनाओं को जिला कृषि पदाधिकारी तक पहुँचाना।

3.11 रसोर्स पर्सन (कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार) का दायित्व

3.11.1 कार्यान्वयन एजेन्सी के रिसोर्स पर्सन को कृषकों का चयन, स्थल का चयन प्रशिक्षण में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व होगा।

3.11.2 कार्यान्वयन एजेन्सी के रिसोर्स पर्सन के माध्यम से प्रत्यक्षण तथा श्री विधि से गेहूँ की खेती के प्रसार कार्य किया जाना है।

3.11.3 कार्यान्वयन एजेन्सी के रिसोर्स पर्सन तथा ग्रामीण प्रसार से जुड़े कार्यकर्त्ता प्रत्यक्षण के निमित्त बीज बुआई हेतु जमीन तैयार कराने तथा बीजोपचार के समय किसानों की मदद करेंगे।

3.11.4 प्रत्येक रिसोर्स पर्सन किसान पाठशाला के प्रशिक्षण सत्र में भाग लेंगे।

3.11.5 प्रत्येक पंचायत के लिये कृषि समन्वयक द्वारा एक पंजी रखा जायेगा। पंजी का प्रत्येक पृष्ठ एक किसान के नाम से आवंटित होगा। जिसमें सभी सुसंगत सूचनाओं को संधारित करना होगा। सुसंगत सूचना विहित प्रपत्र अनुसूची–2 के अनुसार संधारित होगा।

3.11.6 रिसोर्स पर्सन द्वारा लाभान्वित कृषकों की सूची निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करायेंगे। यथा :

1. जिला का नाम :
2. प्रखंड का नाम :
3. श्री पंचायत का नाम :

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	प्रत्यक्षण हेतु रकबा (डिसीमिल में)	प्रत्यक्षण के अतिरिक्त खेती का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषक का वर्गीकरण			
						अ0जा0 / अ0ज0जा0	सीमान्त	लघु	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.11.7 चयनित कृषकों की सूची दिनांक 24.10.2014 तक प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.12 जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्व :

3.12.1 अपने से संबद्ध जिलों में लक्ष्य का कम से कम 5 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

3.12.2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा आने पर कृषि निदेशक को अवगत कराना।

3.13 योजना के प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व : राज्य स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण करना तथा प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उच्च पदाधिकारियों के समीक्षा हेतु उपलब्ध कराना।

3.14 संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व :

3.14.1 प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने प्रमंडल में श्री विधि अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहयोग देंगे।

3.14.2 कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर निदेशालय तथा विभाग को फैक्स / दूरभाष / ई–मेल से सूचित करेंगे।

3.14.3 अपने क्षेत्राधीन जिलो में आयोजित होने वाले शिविर में उपादानों के मूल्य में समरुपता एवं न्यूनतम मूल्य रखने हेतु प्रयास करेंगे।

3.15 **कृषि निदेशक का दायित्व** : इस पूरे कार्यक्रम का राज्य स्तर पर अनुश्रवण एंव समीक्षा करना तथा इसके फलाफल से विभाग को अवगत कराना।

3.16 **जिला पदाधिकारी का दायित्व** : जिला पदाधिकारी अपने ज़िला में इस अभियान की तैयारी एव कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे एंव सफलतापूर्वक संचालन के लिये प्रत्येक मंगलवारीय बैठक (कृषि टास्क फोर्स) में समीक्षा करेंगे।

3.17 **प्रत्यक्षण के संबध में अभिलेखिंकरण**

3.17.1 प्रत्येक पंचायत के लिये सम्बद्ध रिसोर्स पर्सन / कृषि समन्वयक को प्रत्यक्षण एवं श्री विधि से खेती के निमित्त सूचनाओं को अंकित करने के लिये एक पंजी का संधारण किया जाना है।

3.17.2 पंजी में सूचनाओं को विहित प्रपत्र (अनुसूची–2 के अनुसार) में समय–समय पर अंकित किया जाना है।

3.17.3 फसल जाँच कटनी के पश्चात इस पंजी में प्रत्यक्षण स्थल की उत्पादकता तथा समीपवर्ती गैर प्रत्यक्षण स्थल के फसल जाँच कटनी की उत्पादकता स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है।

4.0 **श्री विधि प्रसार–प्रसार अभियान** :

4.1 श्री विधि के प्रचार–प्रसार अभियान के लिये बामेती एवं आत्मा के माध्यम से कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कृषि विकास उत्सव का आयोजन किया जाना है।

4.2 श्री विधि की खेती के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु बामेती द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला, जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

4.3 श्री विधि से गेहूँ की खेती के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु बामेती द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कृषि विकास उत्सव में प्रखंड स्तरीय कृषक प्रशिक्षण–सह–उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

4.4 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं अपने क्षेत्र के उक्त अवसरों पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे तथा इस अभियान का अधिक से अधिक प्रसार करेंगे।

5.0 **अभियान की समय–सारणी** : इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अनुसूची–3 पर घटनाक्रम के लिये तिथि निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि के अनुसार ही कार्यक्रमों का ससमय क्रियान्वयन किया जायेगा।

ज्ञापांक- 1928 दिनांक- 18/10/2014

प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, आत्मा बाँका / अनुमंडल कृषि पदा० (सभी) / सहायक पौधा संरक्षण पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदा० (सभी) बाँका जिला / कृषि समन्वयक (सभी) / किसान सलाहकार (सभी) को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि घर घर योजना को पहुंचा दी जाये।

18/10

जिला कृषि पदा०
बाँका

18/10/14

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष–2014–15 में हरित क्रांति योजना अन्तर्गत SWI विधि से गेहूँ की खेती का जिलावार लक्ष्य

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	पंचायत की संख्या	SWI विधि से गेहूँ की खेती का जिलावार लक्ष्य			
				प्रत्यक्षण का लक्ष्य		गैरप्रत्यक्षण का लक्ष्य	कुल भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)
				भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बक्सर	11	142	1886	36.21120	1886	3772
2	रोहतास	19	246	3268	62.74560	3268	6536
3	कैमूर	11	151	2006	38.51520	2006	4012
4	जहानाबाद	7	93	1235	23.71200	1235	2470
5	अरवल	5	68	903	17.33760	903	1806
6	नवादा	14	187	2484	47.69280	2484	4968
7	भागलपुर	16	242	3214	61.70880	3214	6428
8	बांका	11	185	2457	47.17440	2457	4914
9	मुँगेर	9	101	1342	25.76640	1342	2684
10	जमुई	10	153	2032	39.01440	2032	4064
11	लखीसराय	7	80	1063	20.40960	1063	2126
12	शेखपुरा	6	54	717	13.76640	717	1434
13	सारण	20	330	4383	84.15360	4383	8766
14	मुजफ्फरपुर	16	387	5141	98.70720	5141	10282
15	वैशाली	16	290	3852	73.95840	3852	7704
16	शिवहर	5	53	704	13.51680	704	1408
17	पू0 चम्पारण	27	410	5446.5	104.57280	5446.5	10893
18	प0 चम्पारण	18	315	4184	80.33280	4184	8368
19	दरभंगा	18	330	4383	84.15360	4383	8766
20	मधुबनी	21	399	5300	101.76000	5300	10600
21	समस्तीपुर	20	381	5061	97.17120	5061	10122
22	बेगुसराय	18	257	3414	65.54880	3414	6828
23	सहरसा	10	153	2032	39.01440	2032	4064
24	मधेपुरा	13	170	2258	43.35360	2258	4516
25	खगड़िया	7	129	1714	32.90880	1714	3428
26	पूर्णिया	14	251	3334	64.01280	3334	6668
27	किशनगंज	7	126	1674	32.14080	1674	3348
28	कटिहार	16	238	3161	60.69120	3161	6322
	कुल	**372**	**5921**	**78648.5**	**1510.05120**	**78648.5**	**157297**

अनुसूची–2

श्री विधि प्रत्यक्षण के लाभान्वित कृषक के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप

1. किसान का नाम :
2. पिता का नाम :
3. ग्राम का नाम :
4. पंचायत का नाम :
5. भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) :
6. प्रत्यक्षण का कुल रकबा (एकड़ में) :
7. गैर प्रत्यक्षण का कुल रकबा (एकड़ में) :
8. उपादान प्राप्ति की तिथि :
9. प्राप्त उपादान का विवरण (मात्रा सहित) :
   बीज (प्रभेद के नाम सहित) :
   बीजोपचार हेतु रसायन :
   वर्मी कम्पोस्ट :
   उर्वरक का बुआई के समय प्रयोग : हाँ या नहीं ?
   सिंचाई हेतु राशि (रू0 में) :
   डिबलर / वीडर अथवा वर्मी कंपोस्ट का क्रय
10. प्रशिक्षण की तिथि :
11. बीज बुआई की तिथि :
12. प्रत्यक्षण स्थल में वर्मीकम्पोस्ट / कम्पोस्ट के व्यवहार की तिथि :
13. डिबलर / वीडर की उपलब्धता (हाँ / नहीं) :
14. नेत्रजन उपरिवेशन की तिथि :
15. पटवन की तिथि :
   प्रथम .... द्वितीय .... तृतीय .... चतुर्थ ....
16. फसल में बाली लगने के समय प्रति झुंड औसत कल्लों की संख्या :
17. प्रति बाली औसत दानों की संख्या :
18. फसल कटनी की तिथि :
19. फसल कटनी में प्राप्त उपज की मात्रा प्रति हे0 :

मंतव्य :

किसान का हस्ताक्षर / कृषक सलाहकार का हस्ताक्षर / कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

अनुसूची–3
रबी अभियान वर्ष 2014 की समय सीमा का निर्धारण

क्र0	दिनांक	कार्यक्रम	अनुपालन
1.	9 अक्टूबर, 2014	बीज कम्पनी के साथ बैठक	उप कृषि निदेशक (बीज)
2.	16 अक्टूबर, 2014	बीज आपूर्ति योजना	उप कृषि निदेशक (बीज)
3.	16 अक्टूबर, 2014	प्रखंडवार लक्ष्य वितरण एवं प्रशिक्षण तिथि का निर्धारण	जिला कृषि पदाधिकारी
4.	16 अक्टूबर, 2014	कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अनुदेश	संबंधित नोडल पदाधिकारी
5	21 अक्टूबर, 2014	गेहूँ प्रत्यक्षण ग्रामों / क्लस्टर / लाभुक कृषक का चयन	जिला कृषि पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / कृषि समन्वयक
6.	27 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2014	जिला स्तरीय कर्मशाला	जिला मुख्यालय / निदेशक, बामेति
7	5 नवम्बर, 2014	राशि का प्रखंडो में हस्तांतरण	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी
8	11–29 नवम्बर, 2014	प्रखंड स्तरीय शिविर में गेहूँ प्रत्यक्षण उपादान वितरण कार्यक्रम	कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी
9	12–30 नवम्बर, 2014	प्रत्यक्षण ग्राम में बुआई कार्य सुनिश्चित कराना	कृषि समन्वयक / किसान सलाहाकार
10	दिसम्बर, 2014 से मार्च, 2015 तक	किसान पाठशाला एवं अभिलेखीकरण	निदेशक, बामेति / जिला कृषि पदा0 / परियोजना निदेशक, आत्मा
11	मार्च, 2015	फसल जाँच कटनी एवं आंकड़ों का प्रेषण	कृषि समन्वयक / जिला कृषि पदा0
12	मई, 2015	फसल जॉच कटनी का विश्लेषण	उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

प्रखण्ड : बाराहाट (बांका)

रबी महोत्सव-2014-15

आत्मा योजनान्तर्गत SWI विधि से गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि का चेक वितरण पंजी-सह-समेकित विपत्र

कुल पृष्ठों की संख्या : 15 (कुल कृषकों की संख्या :60)

पंचायत	खड़िहारा	मिर्जापुर	बभनगामा	पंजवारा	सोनडीहा उत्तरी	सोनडीहा दक्षिणी	सकलपुर	भूरना	खरहरा	औरिया	नारायणपुर	पथरा	लौढिया खुर्द	महुआ	गेरधावर	कुल
सामान्य :	02	02	01	02	03	02	02	03	02	03	01	02	01	02	02	30
महिला :	01	01	02	01	00	01	01	00	01	01	01	01	03	00	01	15
अनूसूचित जाति :	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	02	01	00	02	01	15
अनु० जनजाति :	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल :	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60

पंचायत	खड़िहारा	मिर्जापुर	बभनगामा	पंजवारा	सोनडीहा उत्तरी	सोनडीहा दक्षिणी	सकलपुर	भूरना	खरहरा	औरिया	नारायणपुर	पथरा	लौढिया खुर्द	महुआ	गेरधावर	कुल
सीमान्त :	02	02	02	03	01	02	01	02	02	02	01	01	02	02	01	26
लघु :	02	02	02	01	03	02	03	02	02	02	03	03	02	02	03	34
मध्यम :	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
बृहत :	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60

प्रभेदः PBW-502 अनुदान प्रति कृषक-1600 रू० प्रति एकड़

प्राप्त राशि : 2,40,000.00 (दो लाख चालीस हजार रूपये मात्र) रू०

वितरित राशि : 96,000.00 (छियानबे हजार रूपये मात्र) रू०

शेष राशि : 1,36,000.00 (एक लाख छत्तीस हजार रूपये मात्र)

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : खरिहारा

वितरण तिथि : 10 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरणः (1600.00)

प्रति किट सामग्रीः (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW 550, वर्मी कम्पोस्ट -3 किलो, गुड़- 2 कि, कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो, कम्पोस्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं० क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
1	1	विपिन बिहारी चौधरी	सुखदेव चौधरी	लोनी	1	लघु	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	938	1600.00	871133	[signature]
2	2	दिनकर कुमार चौधरी	बिपिन बिहारी चौधरी	लोनी	1	लघु	सामान्य		1600.00	2002	1600.00	871134	[signature]
3	3	पुनम देवी	निर्मल मॉझी	ओलिया	1	सीमांत	महिला		1600.00	2010	1600.00	871135	पुनम देवी
4	4	सदानंद पासवान	जागो पासवान	कुकरिया	1	सीमांत	अनु० जाति		1600.00	2012	1600.00	871136	सदानन्द पासवान

सामान्य :	02
महिला:	01
अनु0जा0 / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	02
लघु:	02
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल:	04

बेणी लाल दास
किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Sachin Kumar
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

[signature]
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

1,

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : मिर्जापुर

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण: (1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW 502 वर्मी कम्पोस्ट –3 किलो, गुड़– 2 कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम; ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 कि० कम्पोस्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग		कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
5	1	प्रिंस कुमार	सत्येन्द्र महराणा	मिर्जापुर	1	लघु	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	926	1600.00	871137	प्रिंस कुमार
6	2	प्रेमलता देवी	बिन्धुदेव मांझी	मिर्जापुर	1	सिमांत	महिला		1600.00	927	1600.00	871138	प्रेमलता दे
7	3	अनिल प्रसाद	स्व० राजेन्द्र प्रसाद	चंगोरी	1	लघु	सामान्य		1600.00	931	1600.00	871139	अनिल प्रसा
8	4	रेनु देवी	मुकेश पासवान	जकोर कठुलिया	1	सिमांत	अनु० जाति		1600.00	2017	1600.00	871140	रेनु देवी

सामान्य :	02
महिला	01
अनु0जा0 / जाति	01
कुल	04

सीमान्त	02
लघु	02
मध्यम	00
वृहत	00
कुल	04

Amit Kr. Singh
किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Ajit Kumar Singh
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : बभनगामा

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण:- (1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW-502 वर्मी कम्पोष्ट –3 क्विं0, गुड़– 2 कि0 कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो, कम्पोष्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्त्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
9	1	रामानुज रमन	जोगेन्द्र चौहान	कैतका	1	लघु	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	911	1600.00	871141	रामानुज रमन
10	2	अरुणा देवी	सरयुग मंडल	बभनगामा	1	सीमांत	महिला		1600.00	910	1600.00	871142	अरुणा देवी
11	3	ललिता देवी	शालीग्राम दास	बभनगामा	1	सीमांत	S.C.		1600.00	924	1600.00	871143	R.T.I. ललिता देवी
12	4	पुष्पा देवी	सुबोध पंडित	बभनगामा	1	लघु	महिला		1600.00	925	1600.00	871144	पुष्पा देवी

सामान्य :	01
महिला:	02
अनु0जा0 / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	02
लघु:	02
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल:	04

(हस्ताक्षर)
किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Sachin Kumar
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर)
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, बर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि बितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : पंजवारा

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण:
(1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW-502, वर्मी कम्पोस्ट –3 किलो, गुड़– 2 कि
कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो
कम्पोस्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्त्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक का वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
13	1	अंजु देवी	अनील पासवान	ककड़िला	1	सिमांत	महिला	एस0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	2013	1600.00	871145	
14	2	पंकज कुमार	नन्द किशोर यादव	ककड़िला	1	सिमांत	समान्य		1600.00	2019	1600.00	871146	पंकज कुमार
15	3	तुनुलाल पासवान	कुदु पासवान	ककड़िला	1	सिमांत	अनु० जा०		1600.00	2020	1600.00	871147	
16	4	पवन कुमार यादव	नन्द किशोर यादव	ककड़िला	1	लघु	समान्य		1600.00	2018	1600.00	871148	पवन कुमार

सामान्य :	02
महिला:	01
अनु0जा0 / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	03
लघु:	01
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल:	04

Rajkumar / U. S. Chaurasia
किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Ajit Kumar Srivastava
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिक
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : सोनडीहा उत्तरी

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण:
(1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW-502/वर्मी कम्पोस्ट –3 किलो, गुड़– 2 किलो, कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो, व कम्पोस्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्त्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
17	1	उमाशंकर साह	प्राणमोहन साह	चिल्लमिल	1	सीमांत	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	940	1600.00	871149	उमाशंकर साह
18	2	सीताराम मंडल	ब्रजनन्दन मंडल	लिलाबस्ती	1	लघु	सामान्य		1600.00	2011	1600.00	871150	सीताराम मंडल
19	3	रेखा देवी	संतलाल पासवान	ककड़िया	1	लघु	अनु0 जाति महिला		1600.00	2021	1600.00	871151	R.T.I. रेखा
20	4	रामगोपाल राउत	भट्टो राउत	मोहनपुर	1	लघु	सामान्य		1600.00	2022	1600.00	871152	रामगोपाल राउत

सामान्य :	03
महिला:	00
अनु0जा0 / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	01
लघु:	03
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल:	04

किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Ajit Kumar Singh
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी,
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : सोनडीहा दक्षिणी

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण::
(1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW 373, वर्मी कम्पोष्ट –3 किलो, गुड़– 2 किलो, कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो, कम्पोष्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
21	1	मोती लाल यादव	हरिमोहन यादव	डफरपुर	1	लघु	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	2006	1600.00	871153	मोती लाल यादव
22	2	त्रिवेणी मण्डल	परमेश्वर मण्डल	रतनपुर	1	लघु	सामान्य		1600.00	2007	1600.00	871154	त्रिवेणी मण्डल
23	3	अनुपम देवी	राजीव कुमार	बड़ी किजहर	1	सीमांत	महिला		1600.00	2008	1600.00	871155	अनुपम देवी
24	4	सुभाषदास	गरजू दास	बड़ी विषहर	1	सीमांत	S.C		1600.00	2009	1600.00	871156	सुभाष दास

सामान्य :	02
महिला:	01
अनु0जा0 / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	02
लघु:	02
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल	04

Sanjiv Kumar K.S. सोनडीहा दक्षिणी
किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

Abjit Kumar
कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : सबलपुर

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण: (1600.00)

प्रति किट सामग्री: (1 एकड़ के लिए) प्रमाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद PBW-502, वर्मी कम्पोस्ट –3 किलो, गुड़– 2 कि कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो कम्पोस्ट–50 किलो

क्रम संख्या	पं० क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
25	1	मो० अनवर	मो० अशरफ	छोटी मोहनी	1	लघु	सामान्य	एम० एस० इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	930	1600.00	871157	मो० अनवर
26	2	निरोतम	धनंजय राणा	पांसो	1	लघु	महिला		1600.00	936	1600.00	871158	[illegible]
27	3	आदित्य जयशंकर	सजीव कु० चौधरी	खुशालपुर	1	लघु	सामान्य		1600.00	937	1600.00	871159	आदित्य जयशंकर
28	4	नरेश दास	स्व० प्रयाग नाथ दास	सबलपुर	1	सीमांत	S.C		1600.00	951	1600.00	871160	नरेश दास

सामान्य :	02
महिला:	01
अनु०जा० / जाति:	01
कुल:	04

सीमान्त:	01
लघु:	03
मध्यम:	00
वृहत:	00
कुल:	04

Ravi Kant Mandal

किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

कृषि समन्यवक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट

प्रखण्ड: बाराहाट, बांका

रबी महोत्सव, वर्ष 2014–15 अन्तर्गत

आत्मा अन्तर्गत SWI विधि गेहूँ प्रत्यक्षण अनुदान राशि वितरण सूची–सह–समेकित विपत्र

पंचायत : भूसना

वितरण तिथि : 20 दिसम्बर 2014

प्रति कृषक राशि का वितरण::
(1600.00)

प्रति किट सामग्री (1 एकड़ के लिए) प्रामाणित गेहूँ बीज : 10किलो प्रभेद HD 2967 वर्मी कम्पोष्ट –3 किलो, गुड़– 2 किलो, कार्बेन्डाजिम 50% WP - 20 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलो, एजोटोबैक्टर या PSB – 1 किलो, मैन्कोजेब 75 %WP: 1 किलो, कम्पोष्ट–50 किलो

क्रम संख्या	प0 क्रम संख्या	किसान का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	कृषक द्वारा खरीदी गई किट की संख्या	कृषक की श्रेणी	कृषक का वर्ग	आपूर्तिकर्ता	कृषक द्वारा भुगतान किया किट बीज का मूल्य	विपत्र संख्या	कृषक को भुगतान की गई किट के लिए अनुदान की राशि	कृषक को वितरित चेक संख्या	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्ष
29	1	कमाल उद्दीन	शाह मोहम्मद हुसैन	चौकनी	1	लघु	सामान्य	एम0 एस0 इन्टरप्राइजेज, बाराहाट	1600.00	920	1600.00	871161	कमाल उद्दीन
30	2	शम्स तबरेज आलम	मुमताज अहमद	गोड़धोना	1	लघु	सामान्य		1600.00	943	1600.00	871162	शम्स तबरेज आ… द्वारा सुमन कुमार
31	3	सुरेन्द्र सिंह	चन्द्रमोहन सिंह	तारडीह	1	सीमांत	सामान्य		1600.00	948	1600.00	871163	सुरेन्द्र सिंह
32	4	मन्टु दास	बृहस्पति दास	खरना	1	सीमांत	S.C.		1600.00	948 / 949	1600.00	871164	मन्टु दास

सामान्य	03
महिला	00
अनु0जा0 / जाति	01
कुल	04

सीमान्त	02
लघु	02
मध्यम	00
वृहत	00
कुल	04

किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
बाराहाट